न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 581–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.03.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 360/12–13/अपील.

———

1– रईस एहमद पिता निसार एहमद
2– नफीस एहमद पिता निसार एहमद
3– इकबाल एहमद पिता निसार एहमद
4– अबरान एहमद पिता निसार एहमद
5– इरशान एहमद पिता निसार एहमद
6– नसीम बी पुत्री निसार एहमद
7– शमशाद बी पुत्री निसार एहमद
8– मुनव्वबी विधवा मुश्ताक एहमद
9– कामिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद
10– जमीर एहमद पिता मुशताक एहमद
11– आदिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद
12– अफजल एहमद पिता मुश्ताक एहमद
13– फाजिल एहमद पिता मुश्ताक एहमद
14– कौसरबी पुत्री मुश्ताक एहमद,
समस्त निवासीगण ग्राम पिपलोनकलां
तहसील आगर जिला शाजापुर ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– आशिक अली पिता मसीद अली
हा.नि. गैस का बाड़ा भेल नाके के पास
उज्जैन
2– इम्त्याज अली पिता मसीद अली
हा.नि. धोबी गली जमा मस्जिद के पास
तह. देपालपुर जिला इंदौर
3– मेहराज अली पिता मसीद अली

4– अनवर अली पिता मसीद अली
हा.नि. महिदपुर तह. महिदपुर
जिला उज्जैन ——— अनावेदकगण

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 30 अप्रैल 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 360/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 5–3–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 8572/2003 में पारित आदेश दिनांक 10.12.07 जो समझौते के आधार पर पारित किया गया था और समझौता उक्त आदेश का भाग होना उल्लिखित किया गया था के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 1166 रकबा 2.46 हैक्टर तथा सर्वे नं. 1170 रकबा 1.96 हैक्टर (जो कि पुराने सर्वे नं. 1279, 1276/1–2 से बने हैं) पर पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार, आगर के न्यायालय में पेश किया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 13/अ–6/07–08 पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 12–6–08 द्वारा आवेदकों का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध 3 वर्ष बाद अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 14.9.12 द्वारा स्वीकार की और प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने निगरानी राजस्व मंडल में पेश की राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 4.10.12 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया । प्रत्यावर्तन के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश

द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकों के पिता मरहूम मसीतअली ने प्रश्नाधीन भूमि को दिनांक 05.03.1950 को निसार एहमद उर्फ कलाउद्दीन तथा मकसूद अली को 650/– रूपये में विकय कर कब्जा सौंप दिया था । भूमि कय किए जाने के उपरांत उक्त दोनों व्यक्ति भूमि पर शामलाती खेती करते रहे बाद में भूमि का बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि मरहूम निसार एहमद उर्फ कलाउद्दीन के हिस्से में आई । निसार एहमद ने एक साल के लिए विवादित भूमि पर नब्बू खां पुत्र धन्नाजी से काश्त कराई । इस साल की फसल को लेकर निसार एहमद उर्फ कलाउद्दीन तथा नब्बू खां में विवाद हो गया । मसीत अली द्वारा अन्य भूमि सर्वे नं. 1276/1, 1276/2 तथा 1279 के आधिपत्य के लिए नफीस एहमद के विरूद्ध सिविल वाद कमांक 36ए/1997 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आगर के समक्ष दिनांक 16.1.97 को पेश किया ।

यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 12–7–76 को मरहूम निसार एहमद उर्फ कलाउद्दीन द्वारा अनुबंध दिनांक 05.03.1950 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व का अर्जन विरोधी आधिपत्य के आधार पर होना अभिकथित करते हुए स्वत्व घोषणा का दावा मसीतअली, मकसूद अली तथा नब्बू खां के विरूद्ध पेश किया जो आदेश दिनांक 03.09.1981 द्वारा स्वीकार किया गया और आवेदकों के पूर्वज निसार एहमद के पक्ष में जयपत्र पारित किया गया तथा अनावेदकों के पिता मसीत अली के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि वे मरहूम निसार एहमद के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त आदेश के विरूद्ध मसीत अली ने जिला जज, शाजापुर के न्यायालय में सिविल अपील 180–ए/82 पेश की जो आदेश दिनांक 15.11.93 द्वारा स्वीकार हुई । इस आदेश के विरूद्ध निसार एहमद ने द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में पेश की जो एस.ए. 384/1983 पर दर्ज हुए यह अपील माननीय उच्च न्यायालय ने 13–8–2013 को निरस्त की । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदकों द्वारा अपील की अनुमति

हेतु याचिका पेश की । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति प्रदान करते हुए सिविल अपील कमांक 8572/2003 ग्राह्य की । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते उक्त अपील के अपीलांट तथा रिस्पोंडेंट में समझौता हो गया और समझौता अनुसार आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.2007 को आदेश पारित कर समझौता मान्य किया और उसकी शर्तों को स्वीकार किया जाकर समझौता आदेश का अंग बनाया गया । इस समझौते को अनावेदकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं दी इस कारण समझौते के अनुसार पारित निर्णय अंतिम रूप से प्रभावशील हो गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदकों द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया जिस पर से पूरी जांच की और प्रमाण लिपिबद्ध किया गया तदपरांत विचारण न्यायालय ने आवेदकों का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष 3 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसमें एस.डी.ओ. ने दिनांक 14.9.12 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया राजस्व मंडल ने निगरानी 3315–एक/12 में दिनांक 04.10.12 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण पुनः एस.डी.ओ. को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निराकरण गुणदोष पर स्वयं करने के निर्देश दिए । प्रत्यावर्तन के उपरांत एस.डी.ओ. द्वारा दिनांक 29.4.13 को आदेश पारित करते हुए अनावेदकों की अपील स्वीकार की साथ ही यह घोषणा की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित समझौता अनावेदकों ने नहीं किया है, इसलिए यह आदेश उन पर बंधनकारी नहीं है और यह भी आदेश दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनावेदकों के विरूद्ध निर्णय एवं जयपत्र निरस्त नहीं किया है । इस आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । दोनों अपीलीय आदेशों के संबंध में यह कहा गया है कि उक्त आदेश विधि एवं विधान के विपरीत हैं हैं । अपीलीय न्यायालयों

ने प्रकरण के अभिलेख का परीक्षण नहीं किया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हुए समझौते का निर्वचन गलत किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदकगण आशिक अली, मेहराज अली, अनवर अली, काली अली रिस्पोंडेंट क. 2 के वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभिलेख में लिए गए थे और उनकी उपस्थिति में प्रकरण में सुनवाई की जाकर निराकरण किया गया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने अभिलेख का परीक्षण किए बिना यह कहा गया है कि विचारण न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन नहीं किया, जबकि समस्त अभिलेख प्रकरण के अभिलेख में मौजूद था ।

यह तर्क दिया गया है अधीनस्थ दोंनों अपीलीय न्यायालयों का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्र किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्वाचन ही इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि आवेदकों के पक्ष में विचारण न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–2 द्वारा जयपत्र पारित किया गया था, उसकी पुष्टि की गई है और समझौते के अनुसार जयपत्र पारित करने के लिए निवेदन किया गया था, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया ।

यह तर्क दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि बाह्य अपील को अवधि में मानने में त्रुटि की है और अपर आयुक्त ने भी इस तथ्य को नजर अंदाज कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है । उक्त आधारों पर आवेदकों की ओर से अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अभिलेख में संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया गया । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हाता